न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिलकुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 2017

सुरजा बनाम **राकेश आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 21.05.2018**

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कियह कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 4.82 हैक्टेयर तन ग्राम बोदलासी, पटवार हल्का रूल्याणी भू अभिलेख निरीक्षक काछवा, उप तहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है, उक्त आराजी में प्रार्थी 1/3 हिस्से पर खातेदार, काबिज, काश्तकार हैं।

यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 6 में आने जाने का रास्ता ग्राम धोलपालिया से ग्राम काछवा जो सार्वजनिक कटानी रास्ता जाता है, से खसरा नम्बर 9,10,7 से होकर 6 में प्रवेश करता है। यह कि खसरा नम्बर 6 में खातेदार नोपा पुत्र सुखा जो नाऔलाद फौत हो गया है जिसकें परिवाले वाले पत्रावली में पक्षकार के रुप में मौजूद है, तथा खसरा नम्बर 9 में खातेदार मन्नी पत्नी मन्ना फौत हो चुकी है जिसके वारिसान पत्रावली में पक्षकार के रुप में मौंजूद है व खसरा नम्बर 10 में खातेदार रुपादेवी पत्नी पूर्णाराम फौत हो चुकी है, जिसके वारिसान पत्रावली में पक्षकार के रुप में मौजूद है।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने खेत खसरा 9 में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 6 में आने जाने के लिये मौके पर रास्ता बंद कर दिया तथा प्रार्थी के आवागमन में बाधा पहुंचाता है तथा अन्य खसरा नम्बरान् 10 व 7 मौके पर 8 फीट रास्ता है, जिसे 12 फीट विस्तारित किया जाना प्रार्थी के आवागमन के लिये अति आवश्यक है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना लाजिम हुआ है।

यह कि खसरा नम्बर 6 का कदीमी रास्ता सैंकड़ों वर्षों से खसरा 9,10, व 7 में से होकर ही है, अन्य कोई रास्ता खसरा नम्बर 6 में आने जाने के लिये नहीं है उक्त रास्ते से ही प्रार्थी आवागमन करता है, तथा प्रार्थी के पूर्वज भी इन्हीं खसरा नम्बर में से अपने खसरा नम्बर 6 में आवागमन करते थे, जो प्रार्थना–पत्र के सांथ सलग्न आंशिक नकल, नक्शा गट्ठा, जिसमें जो रास्ता कटानी धोलपालिया से काछवा जाता है उससे खसरा नम्बर 9,10, व 7 से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 6 में प्रवेश करता है, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है की प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 6 में आवागमन के लिये एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 9, 10 व 7 से ही है।

यह कि खसरा नम्बर 6 में आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 9,10 व 7 से होकर ही है प्रार्थी व उनके पूर्वज ट्रेक्टर मोटरगाड़ी, उंटगाड़ी पशुधन व व्यक्तियों का आना–जाना भी इन्ही खसरा नम्बरों से होकर करते थे इसलिये खसरा नम्बर 9,10 व 7 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता की भूमि दिलवाये जाने की प्रार्थना है तथा उक्त भूमि को रास्ते की भूमि में सम्परिवर्तन व किस्म परिवर्तन किये जाने की प्रार्थना है, उक्त रास्ते की तरमीम राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना है, काश्त की भूमि को रास्ते की भूमि में सम्परिवर्तन किये जाने की प्रार्थना है।

यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का रास्ता दिनांक 28.04.2017 को बंद कर दिया जिससे प्रार्थी का आवागमन बंद हो गया तथा अपने खेत में आने जाने के लिये वंचित हो गया रास्ता बंद करने के कारण व वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण उक्त रास्ते से आवागमन के लिये खुलवाने व राजस्व रेकॉर्ड में कृषि भूमि से रास्ते की भूमि में सम्परिवर्तन किये जाने की प्रार्थना हैं।

यह कि उक्त आराजियात ग्राम बोदलासी उपतहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। यह कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर सादर सावधि प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आराजियात खसरा नम्बर 6 रकबा 4.82 हैक्टेयर ग्राम बोदलासी, उपतहसील नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है, तथा खसरा नम्बर 9 रकबा 3.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 2.64 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 7 रकबा 4.02 हैक्टेयर में से 12 फीट का रास्ता खसरा नम्बर 6 रकबा 4.82 हैक्टेयर में जाने के लिये दिलवाये जाने की प्रार्थना है। तथा उक्त भूमि को रास्ते की भूमि में सम्परिवर्तन व किस्म भूमि परिवर्तन किये जाने की प्रार्थना है तथा उक्त रास्ते की भूमि को तरमीम राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में व राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना है, काश्त की भूमि को रास्ते की भूमि में सम्परिवर्तन किये जाने की प्रार्थना है तथा बन्द रास्ते को खुलवायें जाने की प्रार्थना हैं।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 10, 22 व

31 कि ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। इसी प्रकार अन्य अप्रार्थीगण सं. 1, 6, 11, 16, 23, 27, 36, 39, 40 व 41 कि ओर से भी इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। शेष अप्रार्थीगण की तलबी शेष है। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प रूल्याणी में पेश हुई। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि ''प्रस्तावित भूमि वादी के कथन अनुसार उपयुक्त नहीं है। परन्तु रिकार्ड एवं मौके अनुसार ख.नं. 2 व 5 में से नजदीक रास्ता है। ख.नं. 6 में आने–जाने के लिए रिकार्ड अनुसार सबसे उपयुक्त व कम दूरी का रास्ता ख.नं. 2 व 5 में से होकर दिया जा सकता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता रिकार्ड व मौके के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित है। परन्तु सबसे उपयुक्त व कम दूरी का प्रस्तावित रास्ता के लिए ख.नं. 2 व 5 खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान में खातेदार अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई स्थायी रास्तें का उपयोग नहीं कर रहा है।'' साथ ही केम्प स्थल पर राज पेराकार एवं पटवार हल्का से विवादित खसरान से संबंधित संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड मय नक्शा वास्ते अवलोकन हेतु तलब किया गया। प्रस्तुत रिकॉर्ड व नक्शों के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में मौके पर प्रार्थी के लिए निकटतम रास्ता खसरा सं. 2 व 5 में से जाता है जिसके खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसकी ताईद तलब राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों से होती है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता की मांग का पक्ष सबल नहीं है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को केम्प कोर्ट रूल्याणी मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)